अनुबंध पत्र

आज दिनांक.....को श्री.....पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....पिनः.....

(जिसे आगे प्रथम पक्ष संबोधित किया जावेगा)

एवं

श्री .....सदर/सचिव, (मदरसा प्रबंधन समिति) मदरसा .....
.....पंजीयन संख्या .....

(जिसे आगे द्वितीय पक्ष संबोधित किया जावेगा)

तथा

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

(जिसे आगे तृतीय पक्ष संबोधित किया जावेगा)

के मध्य संविदा के आधार पर प्रथम पक्ष से उर्दू शिक्षा सहयोगी के रूप में द्वितीय पक्ष के मदरसे में मदरसे के अभिशंषा पत्र (संलग्न) दिनांक.....के अनुरूप शिक्षण कार्य की सेवाएं लेने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा अनुबंध किया जाता है, जो तीनों पक्षों पर प्रभावी होगा :–

1. **संविदा की अवधिः** यह संविदा मदरसे में कार्य ग्रहण तिथि.....से शैक्षिक सत्र 2011–12 की अवधि के लिए होगा।
2. **सेवाए एवं प्रतिफल :**
   - **(i)** प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की अपेक्षानुसार मदरसों में शिक्षण कार्य सम्पादित किया जाएगा।
   - **(ii)** उपरोक्त 2 (i) वर्णित शिक्षण कार्य के प्रतिफल के रूप में तृतीय पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई कार्य सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर प्रथम पक्ष को रू. 3500/– प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय का भुगतान करेगा। प्रथम पक्ष को उक्त राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सक्षम स्वीकृति के बाद इसे बढाया भी जा सकेगा।
3. **मासिक पैकेज राशि का भुगतान :–** मासिक पैकेज के रूप में मानदेय राशि के भुगतान के लिए प्रथम पक्ष द्वारा अगले माह की 5 तारीख तक द्वितीय पक्ष के अधिकृत अधिकारी (सदर/सचिव अथवा अन्य मान्यता प्राप्त अधिकारी, मदरसा प्रबंधन समिति) से निर्धारित प्रपत्र में कार्य सत्यापन रिपोर्ट एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र तृतीय पक्ष को प्रस्तुत करेगा। उक्त कार्य सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को मानदेय राशि का भुगतान उसके बैंक खाते में सीधे जमा किया जावेगा।
4. अन्य शर्ते : संलग्नक परिशिष्ठ –1 के अनुसार होंगी।
5. प्रथम पक्ष के विरूद्व कार्यवाही :
   - (i) यदि प्रथम पक्ष द्वारा कोई दुर्व्यवहार अथवा अनुबंध का उल्लंघन (Misconduct or violation of contract) किया जाता है तो द्वितीय पक्ष/तृतीय पक्ष द्वारा जांच कराई जाकर एवं दोषी पाए जाने की स्थिति में तृतीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष की संविदा बिना किसी नोटिस अथवा मुआवजे के तुरन्त समाप्त कर दें।
   - (ii) प्रथम पक्ष के स्वेच्छा से अथवा अनाधिकृत रूप से 7 दिन तक लगातार कार्य से अनुपस्थित रहने पर सेवाएं स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
6. **अनुबंध की समाप्ति :**
   - (i) किसी भी पक्ष द्वारा एक महिने का नोटिस अथवा नोटिस के बदले निर्धारित एक महिने के पैकेज की राशि जमा/भुगतान की जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
   - (ii) द्वितीय पक्ष कार्य में उदासीनता और सेवादोष के आधार पर प्रथम पक्ष की सेवाएं तृतीय पक्ष को लौटा सकेगा किन्तु बिना तृतीय पक्ष की लिखित सहमति के प्रथम पक्ष की सेवाए एकतरफा समाप्त नही की जा सकेगी। यह त्रिपक्षीय संविदा तीनों पक्षों के हितों और दायित्वों के लिए न्याय के संरक्षण के लिए की गई है।
   - (iii) यदि संविदा की अवधि अगले शैक्षिक सत्र पूर्ण होने से पूर्व नहीं बढ़ाई जाये तो यह संविदा निर्धारित अवधि अगले शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जावेगी। शैक्षिक सत्र की निर्धारित तिथि

की समाप्ति के पश्चात किए गए कार्य के लिए प्रथम पक्ष अपनी सेवाओं के बदले किसी भी प्रकार का अन्य कोई दावा प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

7. सेवाओं का स्तर : प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध के आधार पर उसे दिये गये कार्यो की प्रकृति एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण पेशेवर क्षमता, निष्ठा एवं मनोयोग (Highest standard of professional and ethical competence and integrity) से किया जाएगा अन्यथा प्रथम पक्ष के विरूद्व संविदा में वर्णितनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
8. यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष द्वारा रूपये 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं दोनों के हस्ताक्षर के बाद प्रथम पक्ष उक्त अनुबंध को तृतीय पक्ष को प्रस्तुत करेगा, तृतीय पक्ष द्वारा अनुबंध जारी करने एवं हस्ताक्षर करने की दिनांक से ही यह अनुबंध प्रभावी माना जायेगा। शिक्षा सहयोगी को त्रिपक्षीय अनुबंध जारी होने के बाद ही मानदेय का भुगतान आरंभ किया जावेगा, किन्तु तृतीय पक्ष द्वारा मदरसा आवंटन आदेश के क्रम में मदरसे में कार्यग्रहण करने की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
9. यह अनुबंध प्रथम पक्ष द्वारा उसके आवेदन पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां एवं साक्षात्कार के दौरान दी गई सत्यापन की सूचनाओं के सही, सच एवं पूर्ण मानते हुए किया गया है, अगर ऐसी कोई सूचना बाद में गलत पाई जावेगी अथवा जानबूझकर छिपाई जाएगी तो तृतीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस अथवा मुआवजे (Compensation) के तुरंत अनुबंध समाप्त कर सकेगा। प्रथम पक्ष द्वारा की गई सेवाओं के बदले देय प्रतिफल के रूप में मानदेय को भी तृतीय पक्ष द्वारा रोका जा सकेगा।
10. उक्त अनुबंध पर किए जाने वाले व्यय की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
11. यह त्रिपक्षीय अनुबंध.....(प्रथम पक्ष) चयनित शिक्षा सहयोगी के .....(द्वितीय पक्ष) मदरसा आवेदन एवं मदरसा द्वारा अभिशंषा दिनांक..... के क्रम में मदरसा बोर्ड द्वारा संधारित किया जाता है।

हस्तारक्षर प्रथम पक्ष	हस्तारक्षर द्वितीय पक्ष	हस्तारक्षर तृतीय पक्ष
(मदरसा शिक्षा सहयोगी)	(सदर, मदरसा प्रबंधन समिति)	(सचिव)
नाम	नाम	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
	सील	
दिनांक	दिनांक	दिनांक

गवाह

हस्ताक्षर
नाम :
पता :
दिनांक :

गवाह

हस्ताक्षर
नाम :
पता :
दिनांक :

(नोटरी द्वारा प्रमाणित)

परिशिष्ठ –1

अन्य शर्तेः–

1. राजस्थान मदरसा बोर्ड के कलेण्डर के अनुसार कार्य करेंगे।
2. नियमानुसार महिलाओं को देय प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रत्येक वर्ष 15 मानदेय सहित अवकाश देय होंगे। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
3. प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष अथवा अधिकृत ऑथोरिटी की बिना स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
4. प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का आवास उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
5. प्रथम पक्ष को किसी नियमित नियुक्ति में कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
6. प्रथम पक्ष को बोनस आदि देय नहीं होगा।
7. प्रथम पक्ष स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को संविदा उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा नहीं करेगा।
8. प्रथम पक्ष किसी अन्य स्थान पर पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा और न किसी प्रकार का व्यावसाय, धन्धा आदि करेगा और न ही उक्त अवधि में अध्ययन द्वितीय पक्ष की अनुमति के बिना करेगा।
9. प्रथम पक्ष यदि निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अनुपस्थित रहता है तो उसे महिने के देय पैकेज में से द्वितीय पक्ष द्वारा आनुपातिक कटौति की जावेगी।
10. यदि प्रथम पक्ष अपने शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतता है या शिक्षण कार्य से अनुपस्थित रहता है या उसका शिक्षण कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है या किसी अपराधिक अथवा अनुशासनहीनता या व्यवहार में लिप्त पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष के साथ सम्पादित उक्त अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सकेगा।
11. इस अनुबंध के आधार पर भविष्य में प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेगा और केवल जयपुर स्थित न्यायालय/अधिकरण में विवाद दायर/पेश कर सकेगा।
12. शिक्षा सहयोगी को संलग्न परिपत्र के निर्देशों एवं समय–समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अधीन कार्य करना होगा।
13. उक्त त्रिपक्षीय अनुबंध राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा।

(नोटरी द्वारा प्रमाणित)

( )

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष